फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2023/238 बअन्वान तहसीलदार बाली बनाम दानसिंह
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
27 11/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता श्री रघुवीरसिह चौहान उपस्थित। प्रकरण में न्यायालय द्वारा तलब की गई वर्तमान मौका रिपोर्ट भू. अ. निरीक्षक बिसलपुर व पटवारी हल्का सेणा की प्राप्त हो जाने से प्रकरण में उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र जवाब के तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय द्वारा तलब की गई वर्तमान मौका रिपोर्ट की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कर दलील दी गई कि अप्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का अकृषि प्रयोजन उपयोग नही किया जा रहा है। पूर्व में अप्रार्थी द्वारा लगाये गये अस्थायी टेंटो को हटवा दिया है तथा भविष्य में बिना संपरिवर्तन के वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित नही करेगा। इस प्रकार अप्रार्थी खातेदार द्वारा अपनी धारित खातेदारी कृषि भूमि जीवदा के खसरा नंबर 262 रकबा 0.87 हैक्टर का अकृषि प्रयोजन/व्यावसायिक होटल प्रयोजन वर्तमान में उपयोग नही लिये जाने से प्रकरण में दिनांक 06.10.2023 को पारित एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को अपास्त किये जाने की दलील दी। तथा बताया कि अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं होने पर अप्रार्थी विधिवत भूमि का संपरिवर्तन करवाकर ही अपनी भूमि पर होटल गतिविधि चलायेगा। उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा वकील अप्रार्थी की दलीलों का खण्डन नही किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड तथा निरीक्षक भू.अ. बिसलपुर व पटवारी हल्का सेणा द्वारा दिनांक 20.11.2024 को तैयार मौका फर्द के अवलोकन से ज्ञात है कि वर्तमान में अप्रार्थी द्वारा वर्णित भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन उपयोग नहीं लिया जा रहा है तथा अप्रार्थी ने अपने जवाब में यह वर्णित किया है कि भूमि का संपरिवर्तन अतिशीघ्र करवा देगा। भूमि संपरिवर्तन की कार्यवाही स्थगन आदेश के जारी रहते संभव नहीं हो पायेगी तथा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार ज्ञात है कि अप्रार्थी दानसिंह द्वारा अपनी होटल डेरा जवाई (कृषि पर्यटन ईकाई) का पंजीकरण पर्यटन विभाग से दिनांक 08.08.2023 को करवा दिया है तथा इससे पूर्व दिनांक 24.03.2023 को प्रोजेक्ट अनुमोदन भी करवा दिया हैं। जिससे अप्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि का संपरिवर्तन कराने के लिये स्थगन में शिथिलता दिया जाना न्याय संगत प्रतीत है। अतः बाद अवलोकन पत्रावली प्रकरण में दिनांक 6.10.2023 को पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को अपास्त किया जाता है। अप्रार्थी दानसिंह को निर्देश दिये जाते है कि आदेश के 90 दिवस की अवधि में अपनी धारित कृषि भूमि मौजा जीवदा (बाहरी क्षैत्र) के खसरा नंबर 262 रकबा 0.87 हैक्टर का संपरिवर्तन करवाना सुनिश्चित करे। के यदि अप्रार्थी द्वारा नियत अवधि के पश्चात् बिना संपरिवर्तन के यदि मौके पर कोई अकृषि गतिविधि की जाती है, तो तहसीलदार, बाली पुनः कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाली	

Scanned with CamScanner